राजस्व लोक अदालत 2018 केम्प कोर्ट बरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 188/2018 प्रार्थनापत्र एल.आर.एक्ट

अनवान

1. जमना पिता भागुता गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2. पार्वती पुत्री भागुता गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा?
3. हरकू बैवा भागुता गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4. अलोली पुत्री उंकार गाडरी उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी......... वकील प्रार्थीगण**
पेरोकार सरकार..........विपक्षी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.05.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बरण तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 21 के आराजी संख्या 234, 235, 236, 240/1, 268/2, 270/1, 272/1, 274, 275/1, 368, 367/1 कुल किता 11 कुल रकबा 08–05 बीघा भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। किन्तु पूर्व में प्रार्थीगण व सहखातेदारान के मध्य हुए विभाजन से राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश विवादित आराजीयात में से आराजी संख्या 268/2 रकबा 00–01 बीघा, आराजी संख्या 272/1 रकबा 00–01 बीघा व आराजी संख्या 275/1 रकबा 01–03 बीघा प्रार्थीगण के हक हिस्से में प्राप्त हुए। जबकि वक्त नक्शे में तरमीम के सम्पूर्ण खाते के सहखातेदारान के विभाजित हक हिस्से का अवलोकन किया गया, उस दौरान यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त विवादित आराजीयात संख्या 268/2, आराजी संख्या 272/1 व आराजी संख्या 275/1 पूर्व मे ही किसी अन्य के अलोटेड की जा चुकि है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारीयों द्वारा नक्शा ट्रेस में त्रूटीपूर्ण तरमीम कारित की गयी है, एंव उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनवरत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बरण तहसील बनेडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 268/2 रकबा 00–01 बीघा, आराजी संख्या 272/1 रकबा 00–01 बीघा व आराजी संख्या 275/1 रकबा 01–03 बीघा को नक्शे में

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित तरमीम ट्रेस को राजस्व नक्शे में व पूर्व में अलॉटेडशुदा खसरा संख्या के बजाय नवीन बट्टा नम्बरान दिलवाये जाकर इस आशय की दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बरण में नवीन पंजिबद्ध कर दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा ने प्राथीगण के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही करते हुए अपनी और से ईकबालिया जवाब के तौर पर रिपोर्ट मार्फत हल्का पटवारी बरण से तैयार करवायी जाकर, शिविर में ही मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

3. प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीखी से अध्ययन व परिक्षण किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी के ध्यान पूर्वक अवलोकन पश्चात प्रार्थीगण का प्रा.पत्र सहमति से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

—:: आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी, सहमति से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बरण तहसील बनेडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 268/2, 272/1, 275/1 पूर्व में अलॉटेडशुदा खसरा संख्या के बजाय नवीन बट्टा नम्बरान दिलवाने के साथ हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित तरमीम ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में दुरुस्ती की जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. /2018 **दिनांक 03.05.2018**

प्रतिलिपि मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा